न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 49/2009(आरसीएमएस संख्या : 2009/00085)

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर। प्रार्थी,

बनाम

1. गोपीचन्द पुत्र मीठालाल, जाति–महाजन, निवासी–चंदलाई, तहसील–चाकसू।
   1/1 निर्मल पुत्र स्व. श्री गोपीचन्द, जाति–महाजन, निवासी–चंदलाई, हालवासी प्लॉट नं.–13, कैलाश नगर, जिला–राजनान गांव, छत्तीसगढ।
   1/2 सुबोध पुत्र स्व. श्री गोपीचन्द, जाति–महाजन, निवासी–चंदलाई, हालवासी प्लॉट नं.–13, कैलाश नगर, जिला–राजनान गांव, छत्तीसगढ।
   1/3 सुशील पुत्र स्व. श्री गोपीचन्द, जाति–महाजन, निवासी–चंदलाई, हालवासी प्लॉट नं.–13, कैलाश नगर, जिला–राजनान गांव, छत्तीसगढ।
   1/4 सुमन्त पुत्र स्व. श्री गोपीचन्द, जाति–महाजन, निवासी–चंदलाई, हालवासी प्लॉट नं0–30 सरोज नर्सरी, एयरपोर्ट सर्किल के पास, सांगानेर, जिला–जयपुर।
   1/5 शान्ति पुत्री स्व. श्री गोपीचन्द, जाति–महाजन, निवासी–चंदलाई, हालवासी 69, मालवीयनगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 16.09.2019

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चन्दलाई की आराजी खसरा नम्बर 319 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आ.ख.न. 489 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आ.ख.नं. 335 रकबा 8 बिस्वा, आ.ख.न. 336 रकबा 12 बिस्वा, आ.ख.न. 355 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ.ख.न. 359 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध तालाबी दर्ज है, जिसके हाल ख0 नं0 705 रकबा 0.12 हे0, ख0 नं0 707 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 726 रकबा 0.37 हे0, ख0 नं0 727 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 733 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 734 रकबा 0.27 हे0, ख0 नं0 746 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 747 रकबा 0.08 हे0, ख0 नं0 748 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 749 रकबा 0.19 हे0, ख0 नं0 750 रकबा 0.18 हे0, ख0 नं0 756 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 761 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 762 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 740 रकबा

Scanned by CamScanner

0.31 हे0 गोपीचन्द पुत्र श्री मीठालाल, जाति–महाजन की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक पेटाबन्ध आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चन्दलाई की आराजी खसरा नम्बर 319 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आ.ख.न. 489 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आ.ख.नं. 335 रकबा 8 बिस्वा, आ.ख.न. 336 रकबा 12 बिस्वा, आ.ख.न. 355 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ.ख.न. 359 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध तालाबी दर्ज है, जिसके हाल ख0 नं0 705 रकबा 0.12 हे0, ख0 नं0 707 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 726 रकबा 0.37 हे0, ख0 नं0 727 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 733 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 734 रकबा 0.27 हे0, ख0 नं0 746 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 747 रकबा 0.08 हे0, ख0 नं0 748 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 749 रकबा 0.19 हे0, ख0 नं0 750 रकबा 0.18 हे0, ख0 नं0 756 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 761 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 762 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 740 रकबा 0.31 हे0 गोपीचन्द की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 319 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आ.ख.न. 489 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आ.ख.नं. 335 रकबा 8 बिस्वा, आ.ख.न. 336 रकबा 12 बिस्वा, आ.ख.न. 355 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ.ख.न. 359 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध तालाबी दर्ज है गोपीचन्द की खातेदारी में दर्ज है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में यह आराजी सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी

Scanned by CamScanner

अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी खातेदारी हेतु आवंटन वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक पेटाबन्ध की आराजी की खातेदारी गोपीचन्द को दी गई है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध खातेदारी का राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में दी गई खातेदारी के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चन्दलाई की आराजी खसरा नम्बर 319 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आ.ख.न. 489 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आ.ख.नं. 335 रकबा 8 बिस्वा, आ.ख.न. 336 रकबा 12 बिस्वा, आ.ख.न. 355 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ.ख.न. 359 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है। जिसके हाल खसरा नं0 705 रकबा 0.12 हे0, ख0 नं0 707 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 726 रकबा 0.37 हे0, ख0 नं0 727 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 733 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 734 रकबा 0.27 हे0, ख0 नं0 746 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 747 रकबा 0.08 हे0, ख0 नं0 748 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 749 रकबा 0.19 हे0, ख0 नं0 750 रकबा 0.18 हे0, ख0 नं0 756 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 761 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 762 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 740 रकबा 0.31 हे0 गोपीचन्द की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक पेटाबन्ध आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान

Scanned by CamScanner

उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। बरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी की खातेदारी अप्रार्थी को दी गई है जो जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी दर्ज होने से सिद्ध है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक पेटाबन्ध की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन सिवायचक पेटाबन्ध भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकीन पेटाबन्ध भूमि का आवंटन/नियमन /खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणाम स्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आ.ख.नं. 319 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आ.ख.न. 489 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आ.ख.नं. 335 रकबा 8 बिस्वा, आ.ख.न. 336 रकबा 12 बिस्वा, आ.ख.न. 355 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ.ख.न. 359 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है। जिसके हाल खसरा नं0 705 रकबा 0.12 हे0, ख0 नं0 707 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 726 रकबा 0.37 हे0, ख0 नं0 727 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 733 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 734 रकबा 0.27 हे0, ख0 नं0 746 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 747 रकबा 0.08 हे0, ख0 नं0 748 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 749 रकबा 0.19 हे0, ख0 नं0 750 रकबा 0.18 हे0, ख0 नं0 756 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 761 रकबा 0.16 हे0, ख0 नं0 762 रकबा 0.10 हे0, ख0 नं0 740

Scanned by CamScanner

रकबा 0.31 हे0 वाके ग्राम चन्दलाई की दर्ज खातेदारी निरस्त करने व किये गये इन्द्राजात एवं इसके पश्चात् अन्य व्यक्ति के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 13.11.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.09.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner